

उत्तर

श्री अरवि, श्री गीतुली,
श्री युवा-संघ,
उत्तर प्रदेश विधान

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समुदाय केन्द्र,
प्रतिष्ठित विहार नई दिल्ली।

दिनांक 17/1 अगस्त

संख्या: दिनांक: 28 जून, 1999*

विषय:- पद्मावती एकादमी मुझिया जहमनगर बरेली को सीटिंगोरसोई नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है।

महोदय,

अपुनल विषय पर पूरे पद करने का निर्देश हुआ है कि पद्मावती एकादमी मुझिया जहमनगर बरेली को सीटिंगोरसोई नई दिल्ली से सम्बन्धित हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत सीतायली का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और इनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न वर्गों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/को. वि. कार. वि. अधिनियम स्कूल सर्टिफिकेट प्रमाणित नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की जाति से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 151 संस्था शिक्षक एवं प्रमुख कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमति देना तथा अन्य संस्था से को वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायीं जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमति देना अनुसूचित का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

181 विद्यार्थियों का रिकार्ड नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा ।

191 उच्च शक्ति में राज्य सरकार के पुनर्निर्माण के बिना कोई परिवर्तन संशोधन या परिचर्चा नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की रूढ़ि या शिथिलता प्रतीत हो रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

पुणे 24/05/15-7-1999 तद्विनिर्देश

प्रतिनिधि विमलसिंह को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- कानूनीय सहायक शिक्षा निदेशक, बरेली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 5- प्रमुख, पद्ममावती एकाडमी मुदिआ अहमदनगर बरेली ।

आशा है,

[Signature]

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

[Signature]
Principal

Padmawati Academy
Mudja Ahmad Nagar, Bareilly

For Padmawati Academy Society

[Signature]
Chairman

[Signature]
Principal
Padmawati Academy
Mudja Ahmad Nagar,
Bibhit Road, Bareilly